



CP 201

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड ज्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

- I निगरानी/छतरपुर/भू.श/2018/1720 - - - - -

1- महादेव तनय सिद्धा अहिरवार

2- रामस्वरूप तनयसिद्धा 3- जंगल तनय सिद्धा अहिरवार

सभी निवासी ग्राम भैरोगंज & लुगासी & तह. नौगांव जिला छतरपुर

-- निगरानीकर्ता/आवेदकगण

// विरुद्ध //

श्रीमति रामबाई पत्नि रामभरोसे कुमारी

निवासी ग्राम भैरोगंज & लुगासी & तह. नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

-- उत्तरवादी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता/आवेदक गण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह कि निगरानी/पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर के प्र.क. 12/अ-6-अ/वर्ष 2014-15 & पुर्न विलोकन में पारित आदेश दिनांक 24-10-17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है :-

// प्रकरण का संक्षिप्त विवरण //

1- यह कि निगरानीकर्ता गण द्वारा विचारप न्यायालय श्रीमान भू - अभिलेख अधिकारी महोदय छतरपुर को इस आशय का आवेदन दिया कि मौजा लुगासी स्थित खसरा नंबर 4681, 4685, 5843 को बंदोबस्त के बाद भू मि स्वामी स्वत्व में प्रदान की गई थी जबकि खसरा नंबर 5842 उत्तरवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । खसरा नंबर, 5842, 5843 पर मौके पर निगरानीकर्ता गण का कब्जा है जबकि खसरा नंबर 4681 एवं 4685 पर उक्त उत्तरवादी रामबाई का क मौके पर कब्जा है दोनों उपरोक्त वर्धित ग्रामसागर

B-O-R.  
07 FEB 2018

संज्ञक परत... अदि  
सुजा द्वारा प्रस्तुत.  
कार्यालय किरानर, सागर सम्भाग,  
सागर (म. प्र.)

32  
23/02/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 1720

महादेव व अन्य विरुद्ध श्रीमती रामबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अ-6-अ/2014-15(पुनर्विलोकन) में पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जोके0 जैन) सदस्य</p>